

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कनवास

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प द्विगोनिदा

मिसल नं० 2/16 ✓ आदेश रमेश चंद P/S सरकप

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी

व भू.अ.नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

/नायब तहसीलदार कनवास की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम द्विगोनिदा तहसील कनवास व

जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में खाता संख्या 95/169, 96/170

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>द्विगोनिदा</u>	<u>95/169</u>	<u>बालू लाल</u> <u>शेष पन्नावत</u>	<u>रमेश चंद</u> <u>शेष पन्नावत</u>
		<u>96/170</u>	<u>बालू लाल मोहन</u> <u>शेष पन्नावत</u>	<u>रमेश चंद</u> <u>मदन मोहन</u> <u>शेष पन्नावत</u>



पीठासीन अधिकारी
एवं लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :-

2022-23

दिनांक :-

15/7/16

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रमेश चंद, मदन मोहन व बालू लाल जाट धाकड को सूचनार्थ।
3. रक्षित पन्नावली का द्विगोनिदा

पीठासीन अधिकारी
एवं लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर